मुख्यमंत्री गहलोत और पायलट के बीच सुलह का रास्ता हुआ तैयार?

पेपर लीक करने वालों को राजस्थान में मिलेगी उम्र कैद की सजा

- मुख्यमंत्री गहलोत ने इसी सत्र में बिल लाने की बात कही, पायलट समर्थक इसे बता रहे हैं आंदोलन की जीत
- प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए आरपीएससी तथा कर्मचारी चयन बोर्ड के कामकाज की शैली और प्रोसेस को सुधारने की भी घोषणा

जयपुर, (का.प्र)। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पेपरलीक से प्रभावित युवाओं को मुआवजा देने, आरपीएससी का पुनर्गठन करने और वसुंधरा सरकार के करप्शन की जांच के लिए हाई पावर कमेटी बनाने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने इन तीनों ही मांगों को नकार दिया था, लेकिन मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि सरकार पेपर लीक के आरोपियों को उम्रकैद तक की अधिकतम सजा दिलाने के लिए विधानसभा के इसी सत्र में बिल लाएगी। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए आरपीएससी तथा कर्मचारी चयन बोर्ड की कामकाज की शैली और प्रोसेस को सुधारने की शुरुआत करने की घोषणा की है।

गहलोत की ओर से की गई इस घोषणा के बाद सचिन पायलट समर्थक इसे सचिन पायलट की जीत बताने की कोशिश कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री की इस घोषणा में सचिन पायलट की ओर से उठाई गई तीनों मांगों के संबंध में कुछ भी शामिल नहीं है। इतना जरूर है कि गहलोत की इस घोषणा के बाद आलाकमान को दोनों के बीच सुलह कराने में आसानी होगी। अब ना सिर्फ दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के पास में सचिन पायलट को पद देने और पार्टी में एडजस्ट करने का रास्ता मिल गया है। वहीं अब सचिन पायलट भी लोगों के बीच जाकर कह सकेंगे कि उनकी ओर से किए गए आंदोलन के कारण सरकार को अब मजबूर होकर यह कड़ा कानून लाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यही कारण है कि सचिन पायलट समर्थक मुख्यमंत्री की इस घोषणा को अपनी जीत बताने का प्रयास कर रहे हैं।दरअसल पेपर लीक मामले में राजस्थान सरकार की किरकिरी हो रही थी और इसी किरकिरी से बचने का प्रयास करते हुए मुख्यमंत्री ने यह कड़ा कानून लाने के लिए घोषणा की है। गहलोत की इस घोषणा को भले ही पायलट की मांगों को मानने की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन पायलट की ओर से आरपीएससी को भंग करके इसका पुनर्गठन करके आमूलचूल बदलाव करने की मांग पूरी नहीं हो रही है। अब तक पायलट की मांगों को गहलोत ने सिरे से खारिज किया है। इन मांगों को लेकर पायलट ने 11 से 15 मई तक अजमेर से जयपुर तक पैदल यात्रा करते हुए यह मांग की थी। 15 मई को जयपुर में यात्रा खत्म करके सभा में पायलट ने सरकार के सामने तीन मांगें रखते हुए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था।

अल्टीमेटम खत्म होने से पहले 29 मई को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी की मौजूदगी में गहलोत-पायलट की सुलह बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद पायलट ने आंदोलन तो नहीं किया, लेकिन युवाओं से जुड़ी मांगों को छोड़ने से इनकार कर दिया था। सचिन पायलट की तीन मांगों को मानने से पहले गहलोत ने साफ इनकार कर दिया था। पेपरलीक से प्रभावित बेरोजगारों को मुआवजा देने की मांग को गहलोत ने बुद्धि का दिवालियापन बताया था। आरपीएससी को भंग करने की मांग पर गहलोत ने कहा था कि पायलट हमारे परिवार के मेंबर हैं, उन्होंने बात उठाई है तो हमने परीक्षण करवाया तो सामने आया कि कानून में इस तरह का प्रावधान ही नहीं है। वहीं राजे सरकार के करप्शन की जांच की मांग पर गहलोत ने कहा था कि कोई मामला हो तो जांच करवाने को तैयार हैं। राजे के खिलाफ एक ही मामला है और वह ईडी से जुड़ा है, उसमें राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र नहीं है, खान आवंटन से जुड़े मामलों का निस्तारण हो चुका है। सीएम के रुख में अब बदलाव आया है और आज के ट्वीट से यह तय संकेत माना जा रहा है कि पायलट की मांगों को मानने की शुरुआत हो गई है।

अन्य राज्यों के मूल निवासियों को क्यों नहीं दे रहे नियुक्ति?

जयपुर। प्रदेश में अन्य राज्यों के मूल निवासियों को रेडियोग्राफर के पद पर नियुक्ति नहीं दिये जाने के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश एम.एम.श्रीवास्तव और न्यायाधीश प्रवीण भटनागर ने राज्य सरकार के चिकित्सा विभाग को जवाब तलब किया है। मामले में याचिकाकर्ता की और से अधिवक्ता अरविन्द शर्मा पैरवी के लिये पेश हुए थे।

याचिकाकर्ता सुहैल हसन जो उत्तरप्रदेश के मूल निवासी हैं, की ओर से याचिका में कहा गया है कि प्रदेश में किसी भी रेडियोग्राफर को कार्य करने के लिये पहले तो प्रदेश की पैरा मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना होता है साथ ही उसके पास प्रदेश का ही मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिये। उनके अनुसार यह असंवैधानिक है और उन्हें प्रदेश में रेडियोग्राफर के पद पर कार्य करने से वंचित रखत है।

झूठा नाम हटाने की मांग

जयपुर। श्री राजपूत सभा भवन में राजपूत समाज के विभिन्न संगठनों एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों की बैठक में पुलिस थाना पीपलू जिला टोंक मे बजरी के ट्रैक्टर चालक की मृत्यु हो जाने पर एक एफआईआर में झूठे नाम हटाने की मांग गई गई। इस मामले में महानिदेशक पुलिस से मिलकर ज्ञापन दिया।

कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों को हिंदी में आरोप पत्र की कॉपी देने के आदेश

जयपुर, (का.सं.)। एनआईए मामले की विशेष अदालत ने उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों को एनआईए की ओर से अंग्रेजी में पेश आरोप पत्र का हिंदी में रूपान्तरण कर उपलब्ध कराने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज और फोटो सहित अन्य चीजे उपलब्ध कराने के लिए पेश प्रार्थना पत्र पर सुनवाई 5 जुलाई को रखी है। इसी तरह अदालत ने प्रकरण में चार्ज बहस के लिए 26 जुलाई को सुनवाई तय की है।

सुनवाई के दौरान मंगलवार को जेल प्रशासन की ओर से आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। आरोपियों की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर कहा गया कि एनआईए ने प्रकरण में अंग्रेजी में आरोप पत्र दायर किया है। आरोपी प्रार्थी हिंदी भाषी हैं, इसलिए उन्हें आरोप पत्र की कॉपी हिंदी भाषा में रूपांतरण कर दिलाई जाए। जिससे वह प्रकरण में अपना पक्ष उचित तरह रख सकें। वहीं एनआईए की ओर से विशेष लोक अभियोजक टीपी शर्मा ने कहा कि आरोपियों ने आरोप पत्र दायर करते समय आरोप पत्र की भाषा को लेकर विरोध दर्ज नहीं किया था। अब उन्होंने प्रार्थना पत्र पेश किया है। ऐसे में अभियोजन पक्ष उन्हें हिंदी भाषा में आरोप पत्र उपलब्ध करा देगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अभियोजन पक्ष को कहा है कि वह आरोपियों को हिंदी भाषा में आरोप पत्र मुहैया कराए। गौरतलब है कि एनआईए ने दिसंबर 2022 में पाकिस्तान के कराची निवासी सलमान व अबू इब्राहिम को फरार बताते हुए मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद व मोहम्मद रियाज अत्तारी सहित आरोपियों मोहसीन, आसिफ, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बबला, मोहम्मद जावेद व मुस्लिम मोहम्मद के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी, 449, 302, 307 व 324 (34), 153 ए, 153 बी 295 ए और यूएपीए एक्ट की धारा 16,18 व 20 के तहत आतंकी गतिविधियों के आरोप में चालान पेश किया था। वहीं एनआईए की विशेष कोर्ट ने 9 फरवरी, 2023 को आरोपियों के खिलाफ खिलाफ हत्या,आतंकी गतिविधियों, आपराधिक षड्यंत्र सहित यूएपीए एक्ट व आर्म्स एक्ट में प्रसंज्ञान लिया था। मालूम हो की कन्हैयालाल टेलर की उदयपुर में 28 जून 2022 को जघन्य हत्या कर आरोपियों ने इस हत्याकांड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था।

विधि विश्व विद्यालय में कुलपति नियुक्ति को लेकर मांगा जवाब

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने डॉ. भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति को लेकर भर्ती विज्ञापन जारी करने के मामले में प्रमुख उच्च शिक्षा सचिव, चांसलर जरिए प्रमुख सचिव, सर्च कमेटी चेयरमैन और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस सुरेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश प्रोफेसर केबी अग्रवाल की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि आगामी सुनवाई को कोर्ट याचिकाकर्ता की मामले में याचिका पेश करने के अधिकार के बारे में भी सुनवाई करेगा। याचिका में अधिवक्ता सुनील समदडिया ने अदालत को बताया कि डॉ. भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 11 में कुलपति की नियुक्ति और योग्यता आदि के बारे में प्रावधान किए गए हैं। वहीं धारा 11(17) में विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति की नियुक्ति को लेकर प्रावधान है। जिसमें कहा गया कि विवि के चांसलर विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार से राय लेकर करेंगे।

आरोपियों के फोन सर्विलांस पर लेने के आदेश अवैध

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्व मंडल में भ्रष्टाचार के मामले में एसीबी को बडा झटका दिया है। अदालत ने कहा कि मामले में दो फोन नंबर को सर्विलांस पर लेने के संबंध में गृह सचिव की ओर से दिए आदेश अवैध होने के चलते रद्द किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अदालत ने एसीबी को निर्देश दिए हैं कि वह रिकॉर्ड किए गए सभी मैसेज व रिकॉर्डिंग को नष्ट करे। वहीं अदालत ने यह भी कहा है कि ऐसे मैसेज को प्रकरण में लंबित आपराधिक कार्रवाई में अमल में नहीं लाया जाए। जस्टिस बीरेन्द्र कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश शशिकांत जोशी की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने याचिकाकर्ता को छूट दी है कि वह याचिका में चाही गई अन्य रिलीफ के लिए उपलब्ध विधिक उपचार ले सकता है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस तरह के मनमानीपूर्ण आदेश मूलभूत अधिकार का हनन करने वाले हैं। जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

याचिका में अधिवक्ता मोहित खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि गृह सचिव ने अक्टूबर, 2020 से मार्च 2021 तक तीन अलग-अलग आदेश जारी कर एसीबी को याचिकाकर्ता के दो मोबाइल नंबर और सह आरोपी सुनील शर्मा के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लेने की अनुमति दी थी।

'मंत्री जाहिदा खान ने ट्रांसफर के नाम पर तीन लाख रुपए लिए, वापस दिलवा दीजिए मुख्यमंत्री जी'

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर किसी ने लगाए हस्तलिखित पोस्टर

- पुलिस मामला दर्ज कर सीसीटीवी खंगाल रही है

जयपुर, (का.प्र.)। यहां स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगे होर्डिंग्स पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को संबोधित करते हुए हाथ से लिखे हुए पोस्टर लगाते हुए किसी ने मंत्री जाहिदा खान पर ट्रांसफर के नाम पर 3 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया और निवेदन किया कि यह पैसे उसे वापस दिलाए जाएं। हालांकि पोस्टर लगाने वाले ने अपने नाम की जगह निवेदक में एक गरीब किसान का बेटा लिखा है।

शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान पर तबादलों के नाम पर भ्रष्टाचार करने और लाखों रुपए लेने के आरोप लगाते हुए ये पोस्टर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगे विभिन्न होर्डिंग्स पर लगा दिए गए। यह पोस्टर किसने लगाए, इस बारे में पता नहीं चल पाया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज देख रही है कि ये किया किसने। यह पोस्टर मुख्यालय खुलने से पहले ही या देर रात लगाए गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। पोस्टर सामने आते ही प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के कर्मचारी ने तुरंत कांग्रेस के बड़े नेताओं को इसकी सूचना दी ओर यह पोस्टर हटा दिए गए। इसके बाद इस बारे में प्रदेश कांग्रेस की ओर से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है।

दरअसल प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर दिनभर काफी चहल-पहल रहती है, क्योंकि सामने पुलिस लाइन है और एक तरफ संसार चंद्र रोड है। ऐसे में यहां से दिनभर ट्रैफिक भी गुजरता रहता है। यही कारण है कि पोस्टर लगाने वाले ने रात का समय चुना। अब पुलिस दुकानों और पीसीसी के बराबर में एक मॉल में लगे सीसीटीवी फुटेज देख रही है ताकि ऐसा करने वाले का पता लगाया जा सके।

हाथ से लिखे अलग-अलग पोस्टर्स में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से अपील करते हुए लिखा गया है कि मंत्री जाहिदा खान से मेरे 3 लाख रुपए दिला दो। दूसरे पोस्टर में लिखा है कि प्रभारी रंधावा मंत्री जाहिदा खान से हमारे पैसे दिलवा दो। तीसरे पोस्टर में लिखा है कि राजस्थान सरकार की सबसे भ्रष्ट मंत्री जाहिदा खान विधायक कामां हैं। निवेदक दुखी शिक्षक। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर मंत्री नेताओं के खिलाफ पहले भी पोस्टर लगते रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट वितरण के समय असंतुष्ट नेताओं ने भी कांग्रेस मुख्यालय में पोस्टर लगाए थे। पोस्टर्स पर पैसे लेकर टिकट देने के आरोप लगाए गए थे। कुछ दिन पहले जलदाय मंत्री महेश जोशी के खिलाफ एक युवक ने पीसीसी मुख्यालय में धरना दिया था। उसने महेश जोशी पर भी पैसे को लेकर आरोप लगाए थे।

चयन से वंचित क्यों किया?

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और कर्मचारी चयन बोर्ड से पूछा है कि पेपर लीक के आरोपी से दोस्ती होने के आधार मात्र पर पीटीआई भर्ती-2022 में चयनित महिला अभ्यर्थी का चयन क्यों निरस्त किया गया है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश प्रियंका विश्नोई की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 16 जून 2022 को पीटीआई के 5546 पदों के लिए भर्ती निकाली। जिसमें याचिकाकर्ता शामिल हुई और लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद उसके दस्तावेजों का सत्यापन भी किया गया। वहीं चयन बोर्ड की ओर से गत 31 मई को भर्ती का अंतिम परिणाम जारी किया गया। जिसमें याचिकाकर्ता का चयन हो गया। इसके बाद इसी दिन बोर्ड ने उसकी नियुक्ति को रद्द कर दिया। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता की जानकारी में आया है कि उसकी पेपर लीक के मास्टर माइंड भूपेन्द्र से दोस्ती होने के कारण चयन बोर्ड की ओर से उसकी नियुक्ति रद्द की गई है। याचिका में यह भी कहा गया कि पीटीआई भर्ती में पेपर लीक का आरोप नहीं लगा है और ना ही इस परीक्षा को लेकर कोई एफआईआर दर्ज हुई है।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार
सत्यमेव जयते
G20 भारत 2023 INDIA
आज़ादी का अमृत महोत्सव

फसल बीमा कराओ सुरक्षा कवच पाओ

"मौसम के जोखिमों से हमारे मेहनती किसान भाई–बहनों के हितों को सुरक्षित करने में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना काफी कारगर साबित हो रही है। इसका लाभ करोड़ों किसानों को मिल रहा है।"
– नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ

- दावों का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में
- आधुनिक तकनीक से उपज का बेहतर अनुमान

7 वर्षों की मुख्य उपलब्धियां

- 48 करोड़ से अधिक किसान आवेदन प्राप्त
- 13.63 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा का वितरण
- ₹1.36 लाख करोड़ से अधिक का बीमा दावा भुगतान

पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2023

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

बीमा भागीदार: AIC, Bajaj Allianz, TATA AIG, Chola MS, Future Generali, HDFC ERGO, ICICI Lombard, Bharti AXA, Kshema, Reliance General Insurance, SBI general, Universal Sompo General Insurance, Oriental Insurance

अपनी फसलों को आज ही बीमित करने के लिए संपर्क करें | जनसेवा केंद्र | क्रॉप इंश्योरेंस ऐप https://play.google.com | किसान कॉल सेंटर 1800-180-1551 | पोस्ट ऑफिस | बैंक शाखा | @PMFBY

QR कोड स्कैन करें